

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

(शैक्षिक सर्वे, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग)

Email-hod.dsm.siert@rajasthan.gov.in

Phone No- 0294.2415202

क्रमांक/साराशैअप्रप-उदय/प्र.2/NMMS/फा-2418/2023/1615 दिनांक 20.09.2023

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय (DEO)

एवं जिला नोडल अधिकारी (DNO) NMMS,

समस्त जिले (राजस्थान)।

विषय- नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMS) 2024 चयन परीक्षा के आवेदन
शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ की सूचना के क्रम में।

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी हैं। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मोनिटरिंग साराशैअप्रप उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) व जिला नोडल अधिकारी (DNO) के द्वारा जिला स्तर पर संचालन व मोनिटरिंग की जाती है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम (NMMS) चयन परीक्षा-2024 हेतु शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय लोगिन से संस्थाप्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यह आवेदन दिनांक 20.09.2023 से शुरू होकर दिनांक 05.10.2023 तक किये जा सकेंगे। इस परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा तिथि 19.11.2023 है।

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम (NMMS) परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक :- पं 19(1) शिक्षा- 6/2017/पार्ट जयपुर दिनांक - 14.10.2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं अतः इस वर्ष से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं हैं। शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन के लिए संस्था प्रधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश व विद्यार्थी की पात्रता के मापदण्ड साथ में संलग्न हैं। विस्तृत जानकारी शालादर्पण के लिंक <https://rajshaladarpan.nic.in/sd2/NMMS/Home.asp> पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन नं. -0294-2418319


अतिनिदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

क्रमांक/साराशैअप्रप-उदय/प्र.2/NMMS/फा-2418/2023/ दिनांक 20.09.2023
प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा
2. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-6) जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक समस्त संभाग राजस्थान।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को भेजकर लेख है कि इसकी प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए अधिकाधिक आवेदन कराना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली


20.9.23
प्रभागाध्यक्ष

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अन्नसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर
(शैक्षिक सर्वे, अनुसंधान, तथा नीति परिशेष्य प्रभाग)

Email: hsd.ugp@rajasthan.gov.in

क्रमांक/राजस्थानप्रप्र-उदय/प्र.2/NMMSS/ फा-1852/2023/1614

Phone No- 0294.2415202

दिनांक 19.09.2023

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम NMMSS 2024 चयन परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी -

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम (NMMSS) 2024 चयन परीक्षा हेतु शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय लोगिन से संस्था प्रधान द्वारा 20.09.2023 से दिनांक 5.10.2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

परिचय- नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMSS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अन्नसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी है। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मोनिटरिंग राजस्थानप्रप्र उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(सु.) जिला नोडल अधिकारी (DNO) हैं। अतः जिला स्तर पर संचालन व मोनिटरिंग DNO/ DEO द्वारा की जाती हैं।

उद्देश्य- इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर कम हो सके। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर NMMSS छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

छात्रवृत्ति राशि - एनएमएमएस में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12000 रु प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किया जाता है। राशि सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। राजस्थान राज्य का कोटा 5471 हैं।

नवीन संशोधित पात्रता मापदंड -

1. कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी।
2. अभिभावक/माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। NMMSS योजना के नवीन संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वार्षिक आय सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख कर दी गई है।
3. कक्षा 9 वीं तथा कक्षा 11 वीं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा कक्षा 10 वीं में 60 प्रतिशत ग्राप्तांक अनिवार्य है।

16/9

P

कौन पात्र नहीं है -

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र।
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
3. निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र।
4. राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी।
5. राजकीय अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी।

पात्रता व छात्रवृत्ति की निरन्तरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक

क. सं.	कक्षा	न्यूनतम प्राप्तांक %
1	7	55
2	8	55
3	9	स्पष्ट उत्तीर्ण
4	10	60
5	11	स्पष्ट उत्तीर्ण

(sc और st श्रेणी के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत की छूट है। विद्यार्थी कक्षा 7,8, व 10, में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा व चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जायेगा।)

NMMS आवेदन प्रक्रिया

NMMS चयन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है

1. **NMMS परीक्षा के लिए आवेदन-** स्टेट नोडल राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकापी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाए। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति चार वर्षों तक मिलती है। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाए। मूल आवेदन सम्बंधित विद्यालय में सुरक्षित रखें। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन चार साल तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र एक वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं हैं।

५५

12

1/97

2. NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज -

- कक्षा 7 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (केवल राजकीय विद्यालय से 55 प्रतिशत प्राप्तांक सहित) □ जाति प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
- राजस्थान का मूल निवास, प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड और बैंक पास बुक की छायाप्रति

3. परीक्षा पैटर्न -

NMMS चयन परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पैटर्न पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT) व शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों (प्रत्येक में 90) को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है। जिनके दिशा-निर्देश साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाईडलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

एनएमएमएस परीक्षा का पैटर्न निम्नलिखित प्रकार से है -

क्र.सं.	परीक्षण	विवरण
1.	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं।
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं।

इस हेतु पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

4. परीक्षा परिणाम - चयन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा (छात्रवृत्ति संख्या) 5471 है। जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मॉरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। SC व ST श्रेणियों के आवेदकों को इस एनएमएमएस छात्रवृत्ति पात्रता लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32 प्रतिशत हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है।

5. परीक्षा शुल्क मुक्ति -

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप स्कीम(NMMSS)2024 चयन परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक :- पं 19 (1) शिक्षा -6/2017 / फर्ट जयपुर दिनांक-14.10.2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति कि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अतः इस वर्ष से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है।

6. परीक्षा में चयन के बाद करणीय कार्य

(i) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन - परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा किया जाएगा। तथा इस आवेदन का प्रिन्ट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना है। नवीनीकरण के अभाव में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए छात्र अपात्र हो जाएंगे। सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र एक वर्ष तक विद्यालय रिकार्ड में रखना आवश्यक है।

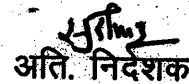
(ii) वेरिफिकेशन - नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल (NSP) पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद सम्बन्धित संस्थाप्रधान तत् पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मु.) द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते है। अधिक जानकारी के लिए <https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/NMMS/scholarship.aspx> पर विजिट करें।


निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

क्रमांक / राराशैअप्रप-उदय/प्र.2 / NMMS / फा-1052 / 2023 दिनांक 19.09.2023
प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा
2. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-6) जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.)माध्यमिक समस्त जिले
5. रक्षित पत्रावली ।


अति. निदेशक

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

